JALAUN POLICE

दिनांक – 09.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में 02 अभियुक्तगणों को अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – थाना एट में मु0अ0सं0 228/2003 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम मोनू उर्फ राम सिंह पुत्र चन्द्रभान नि0 मु0 शान्तिनगर कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय सिविल जज जू.डि. उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मोनू उर्फ राम सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल मे बितायी गयी अवधि व 4000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 60/1994 धारा 323/506 भादवि बनाम किशन चन्द्र पुत्र शिवशंकर नि0 ग्राम देवनपुरवा थाना कुठौन्द जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त किशन चन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये 1300/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।